

Case Study-7

ईएफटी. मे फ्रॉड (Fraud) के सम्बन्ध मे की गयी सतर्कता निवारक जॉच।

राजीव कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि./याता.

एक स्रोत सूचना कि एक चल टिकट परीक्षक द्वारा अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ईएफटी में मैनिपुलेशन कर कपटपूर्ण (Fraudulently) ढग से कार्य किया जा रहा है और रेल राजस्व को क्षति पहुँचायी जा रही है। उक्त के आलोक में कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त ईएफटी की रिकार्ड प्रतियों को सीटीआई कार्यालय से तथा संबंधित ईएफटी की लेखा प्रतियों मय रिटर्न के साथ सविस/कोचिंग कार्यालय से सीज कर की गयी सतर्कता जॉच में पाया गया कि उक्त चल टिकट परीक्षक द्वारा गाड़ी में कार्य के दौरान यात्री प्रति के साथ बनायी गयी ईएफटी की मूल लेखा प्रति को मासिक रिटर्न के साथ लेखा कार्यालय को न भेजकर उसके स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को भेजा गया है एवं यात्री प्रति के संगत रिकार्ड प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति के ही अनुरूप रिकार्ड प्रति पर भी मैनिपुलेशन कर फ्राड (FRAUD) करके रेल राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। उक्त मंषा की पूर्ति के उद्देश्य से कर्मचारी द्वारा निम्न युक्ति तथा क्रिया विधि (Modus operandi) को अपनाया गया है: —

युक्ति सं०-1

आरोपी कर्मचारी द्वारा ईएफटी.की लेखा एवं रिकार्ड प्रति को काल्पनिक रूप से बिना किसी के यात्री के, II class sitting के नाम पर LOW VALUE AMOUNT (₹15) में बनाया गया तथा लेखा प्रति में लेखांकित धनराशि (15) के अनुसार मासिक रिटर्न के साथ लेखा प्रति संलग्न कर लेखा कार्यालय भेजा गया, जबकि संबंधित ई.एफ.टी.की यात्री प्रति को **सादा (BLANK)** रखा गया, जिसे बाद में उस पर मैनिपुलेशन करके कही अन्यत्र प्रयोग करते हुए उसे दुरुपयोग में लाया गया।

युक्ति सं०-2

आरोपी कर्मचारी द्वारा ईएफटी. की लेखा, रिकार्ड एवं यात्री तीनों प्रतियों को बिना किसी यात्री के काल्पनिक रूप से निजी स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से LOW VALUE AMOUNT (₹15 II class sitting) में बनाया गया तथा ईएफटी की लेखा प्रति में लेखांकित धनराशि (15) के अनुसार मासिक रिटर्न के साथ लेखा प्रति को संलग्न कर लेखा कार्यालय को भेजा गया, जबकि LOW VALUE AMOUNT (₹15) में ही बनायी गयी ई.एफ.टी.की यात्री प्रति पर मैनिपुलेशन करके उसका कही अन्यत्र प्रयोग करते हुए दुरुपयोग में लाया गया।

कर्मचारी द्वारा अपने कार्य के दौरान यात्री को जारी कर दी गयी यात्री प्रति के संगत लेखा प्रति व रिकार्ड प्रति में लेखांकित धनराशि को रेल राजस्व में न जमा करना पड़े, जिसे अपने पास रखा जा सके इसके लिए उपरोक्त युक्ति सं० 01 तथा युक्ति सं० 02 के तहत बनायी गयी ई.एफ.टी.की यात्री प्रति पर मैनिपुलेशन करके मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया तथा मासिक रिटर्न के साथ मूल लेखा प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को लेखा कार्यालय भेजा गया जबकि

यात्री को जारी की गयी यात्री प्रति के संगत रिकार्ड प्रति की पूर्ति पुनः **USED** रिकार्ड प्रति पर सिंगल साइड कार्बन लगाकर **overwrite** करके पूरा किया गया।

- (i) युक्ति सं० 01 के अर्न्तगत **सादा (BLANK)** रखी गयी ईएफटी की यात्री प्रति के ऊपर निम्न प्रकार से मैनिपुलेशन किया गया :- ईएफटी. क्रमांक, '**लेखा ACCOUNTS**' शब्द की छाया प्रति करा कर, संबंधित की छाया प्रति को ईएफटी की यात्री प्रति पर '**यात्री PASSENGER**' शब्द के ऊपर चिपकाकर, Cash liability के रूप में कम राशि लेखांकित करते हुए Fraudulently डबल साइड कार्बन के माध्यम से मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया।
- (ii) युक्ति सं० 02 के अर्न्तगत LOW VALUE AMOUNT प्रति (₹15) में बनायी गयी ईएफटी की यात्री प्रति के ऊपर निम्न प्रकार से मैनिपुलेशन किया गया— ई.एफ.टी.क्रमांक, '**लेखा ACCOUNTS**' शब्द की छाया प्रति करा कर संबंधित की छाया प्रति को ईएफटी की यात्री प्रति पर '**यात्री PASSENGER**' शब्द के ऊपर चिपकाकर, मैनिपुलेटेड लेखा प्रति (₹15) बनाया गया।
- (iii) उपरोक्त क्रम सं० (i) तथा (ii) के अनुसार बनायी गयी मैनिपुलेटेड लेखा प्रति में लेखांकित धन राशि के अनुरूप ही संगत ईएफटी की रिकार्ड प्रति को ईएफटी के विवरणों के साथ पुनः **overwrite** करके सिंगल साइड (**USED** रिकार्ड प्रति पर) लगाकर पूरा किया गया।
- (iv) मूल लेखा प्रति के स्थान पर बनायी गयी मैनिपुलेटेड लेखा प्रति तथा **overwrite** करके बनायी गयी संगत रिकार्ड प्रति में ईएफटी के विवरणों जैसे—यात्री का नाम, आबंटित बर्थ सं०, यात्री के हस्ताक्षर, टीटीआई के हस्ताक्षर, यात्रा टिकट सं०, **collected at station** इत्यादि में भिन्ना पायी गयी, यद्यपि दोनों प्रतियों में राशि को एक समान ही रखी गयी है।
- (v) जाँच में यह भी पाया गया कि कर्मचारी द्वारा युक्ति सं० 01 तथा युक्ति सं० 02 के अर्न्तगत **सादा (BLANK)** अथवा LOW VALUE AMOUNT (₹15) में बनायी गयी यात्री प्रति पर मैनिपुलेशन कर उसका दुरुपयोग अपने मूल रिकार्ड प्रति के स्थान पर भी रिकार्ड बुक में बाहर से पेस्ट करके किया गया है इस प्रकार मैनिपुलेटेड रिकार्ड प्रति के अनुरूप ही संबंधित की लेखा प्रति को **Fraudulently** रूप से बनाकर जारी किया गया है।

युक्ति सं०-3

अन्य चल टिकट परीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जा चुकी ई.एफ.टी की रिकार्ड बुक जो कि संबंधित चल टिकट परीक्षकों द्वारा सीटीआई. कार्यालय/गोरखपुर (पं०) में जमा किया जा चुका था। आरोपी कर्मचारी द्वारा ऐसे 04 ईएफटी रिकार्ड बुक को सीटीआई कार्यालय से येन-केन प्रकारेण प्राप्त कर निम्न प्रकार से कपटपूर्ण (**Fraudulently**) कार्य किया गया:-

- (i) ईएफटी के रिकार्ड प्रतियों के क्रमांक में आवश्यकतानुसार मैनिपुलेशन करके मूल रिकार्ड प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड रिकार्ड प्रति बनाया गया है तथा रिकार्ड बुक में बाहर से पेस्ट किया गया है।
- (ii) ईएफटी के रिकार्ड प्रतियों के ऊपर मैनिपुलेशन करके जैसे—ईएफटी क्रमांक, **लेखा ACCOUNTS** शब्द की छायाप्रति को ईएफटी की रिकार्ड प्रति शब्द के ऊपर चिपकाकर मूल लेखा प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया तथा उक्त प्रकार से बनायी गयी मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को मासिक रिटर्न के साथ लेखा को कार्यालय भेजा गया है।

उक्त जॉच मे पायी गयी गंभीर अनियमितताओं के आलोक मे संबंधित चल टिकट परीक्षक को 'दीर्घ-दण्ड' के आरोप पत्र के साथ कैष लेन-देन संबंधी कार्य से विरक्त करने की अनुषंसा की गई साथ ही पर्यवेक्षकीय विफलता हेतु प्रभारी सीटीआई को भी लघु-दण्ड के शास्ति की अनुषंसा की गई। इसके अतिरिक्त मासिक रिटर्न की समुचित जॉच हेतु संबंधित नियमों/दिषा-निर्देशों को Reiterate करते हुये वाणिज्य एवं लेखा विभाग को संदर्भित किया गया।

प्रति
दस्तावेज